न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 116 / 15 दायर दिनांक: 26.11.2015

जीसीएमएस नं. 2015 / 00332

उनवान

1 उर्मिला पत्नि सोहनलाल 2 धूरी 3 सन्तोष पुत्रान सोहनलाल 4 मन्जू पुत्री सोहनलाल जातियान खाती नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 मुकेश पुत्र गोपी 2 विनोद पुत्र मन्नू जातियान जोगी नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

मूल से मिलान किया गया
नकल लिपिक

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:–
1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——वादीगण
2 श्री आजाद बाबू ——प्रतिवादीगण

एवं

प्रकरण सख्या: 119 / 15 दायर दिनांक: 30.12.2015

जीसीएमएस नं. 2015 / 00334

उनवान

1 गोपी पुत्र फूंरियाराम (मृतक) 1/1 मुकेश पुत्र गोपी जाति जोगी नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर

——वादी

बनाम

1 उर्मिला पत्नि सोहनलाल 2 धूरी 3 सन्तोष पुत्रान सोहनलाल जातियान खाती नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर 4 मन्जू पुत्री सोहनलाल पत्नि श्याम जाति खाती नि. नाम बुडवारी तह. नदबई जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. 1955

फोटो स्टेट प्रमाणित
निजि सहायक ग्रेड - II
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अधिवक्ता:–
1 श्री आजाद बाबू ——वादी
2 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 19/01/2026

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा उनवान उर्मिला वगै. बनाम मुकेश वगै. अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. पेश किया गया तथा उक्त आराजी से संबंधित दूसरा दावा वकील प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.12.2015 को अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों दावों के

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

मूल से मिलान किया गया
नकल लिपिक

पक्षकारान एवं आराजीयात समान होने के कारण दावा संख्या 116/15 में दावा संख्या 119/15 को कन्सोलीडेट किया। जिस वजह से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है–

उक्त दोनों दावों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दावा संख्या 116/15 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1907 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर में स्थित है। जिसमें वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के तथा 1/2 हिस्सा का राधे पुत्र हुकम रिकॉर्ड में खातेदार है। परन्तु राधे का लावल्द विला औलाद के स्वर्गवास हो गया है। जिसके तरके पर वादीगण काबिज है तथा वादीगण ने उक्त रकबा में इस वर्ष सरसों की फसल बो रखी है, जो सरसब्ज खडी हुई है।

प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी व काश्तकारी की आराजी से कोई भी वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार का आज तक नहीं रहा है। उक्त आराजी के तरफ पूर्व में प्रतिवादीगण की आराजी स्थित है। लेकिन प्रतिवादीगण लठैत एवं ताकतवर तथा पैसे वाले व्यक्ति है, जो वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है एवं वादीगण को आराजी से हर समय बेदखल करने के लिये प्रयत्नशील रहते है। वादीगण कमजोर स्थिति के होने की वजह से प्रतिवादीगण का मुकाबला करने में कतई असमर्थ है। जिसकी वजह से प्रतिवादीगण, वादीगण को आये दिन तंग व परेशन करते हुए आराजी में फसल बोने व काटने नहीं देते है और जान से मारने की फिराक में भी रहते है।

एवं दावा संख्या 119/15 के अनुसार वादी उक्त आराजी खसरा नंबर 1907 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।

वदी अपनी उक्त आराजी का एडवर्स पजेशन के आधार से करीब 20 साल से अपनी उक्त आराजी का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व जोतता बोता चला आ रहा है। वादी को उक्त आराजी के जोतने बोने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है।

उक्त के आधार पर दावा संख्या 116/15 में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने बाबत निवेदन किया गया तथा दावा संख्या 119/15 में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने एवं आराजी खसरा नंबर 1907 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां की आराजी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण की ओर से श्री आजाद बाबू एड. द्वारा वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया गया।

दावा एवं जवाब दावे के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम किये। बाद तनकीयात वादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र सन्तोष का पी.डब्ल्य–1, शपथ पत्र जगदीश का पी.डब्ल्यू–2 पेश किये गये। बाद शपथ पत्र जिरह साक्ष्य की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादीगण द्वारा जमाबन्दी संवत 2070–73 प्रदर्श–1, खसरा गिरदावरी संवत 2070–73 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी 2024 प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी वर्ष 2023 संवत 2080 प्रदर्श–5 प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादीगण साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मुकेश डी.डब्ल्यू–1, शपथ पत्र डी.डब्ल्यू–2 विनोद द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं जिरह साक्ष्य प्रतिवादीगण कराई गई तथा शपथ पत्र सोहनलाल द्वारा डी.डब्ल्यू–2 पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादीगण द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र गोपी प्रदर्श–1 पेश किया गया।

हमने पत्रावलियों का अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की दलीलों पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी संख्या 1:– आया आराजी खसरा नंबर 1907 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां में स्थित है, जिसमें वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के तथा 1/2 हिस्सा का राधे पुत्र हुकम रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है, जिसके तरके पर वादीगण काबिज है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंने जमाबन्दी संवत 2070–73, खसरा गिरदावरी 2070–73, नकल जमावन्दी संवत 2075–78, खसरा गिरदावरी 2024, खसरा गिरदावरी 2023 प्रस्तुत किये गये तथा शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2 पेश किये गये, जिसके आधार

फोटो स्टेट
निजि सहायक ग्रेड -II
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

मूल से मिलान किया गया
[signature]
नकल लिपिक

पर यह साबित होता है कि वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। अतः तनकी संख्या 1 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया वादीगण की आराजी से प्रतिवादीगण का खातेदारी व काश्तकारी की आराजी से कोई भी वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार का आज तक नहीं रहा है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में वादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी एवं प्रस्तुत शपथ पत्र द्वारा सिद्ध किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा इस बाबत कोई विधिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः तनकी संख्या 2 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3:– आया प्रतिवादी मुकेश के पिता गोपी ने आज से 20 साल पहले वादीगण के पिता स्वर्गीय सोहनलाल व चाचा स्वर्गीय राधे पुत्र हुकम से 87000/– रूपये में क्रय किया था, प्रतिवादी के पिता गोपी ने उक्त आराजी मौखिक रूप से क्रय की थी तथा बयनामा बाद में कराने की कह दिया गया था।

इस तनकी को सिद्ध का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे में उल्लेख किया गया है तथा साक्ष्य डी.डब्ल्यू–1, डी.डब्ल्यू–2 प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु उन्होंने कोई विधिमान्य बाबत दस्तावेजी साक्ष्य या इस बाबत कोई कभी इकरारनामा हुआ हो तो भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, वे खातेदारी दिये जाने बावत नाकाफी है, जबकि उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी वादीगण के नाम है। अतः तनकी संख्या 3 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:– आया प्रतिवादी के पिता गोपी अपनी उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 1907 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा पर खरीद के समय से ही 20 साल पहले से ही काश्त करता चला आ रहा है।

इस तनकी को प्रतिवादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि प्रतिवादीगण का कभी उक्त आराजी पर कोई रिकॉर्डेड कब्जा रहा है तथा तनकी संख्या 3 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित होने से तनकी संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी:– तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वहक वादीगण निर्णित होने व तनकी संख्या 3 व 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित होने से वाद संख्या 116/15 उनवान उर्मिला वगै. बनाम मुकेश वगै. स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 119/15 उनवान गोपी बनाम उर्मिला वगै. खारिज किया जाता है।

अतः वाद संख्या 116/15 उनवान उर्मिला वगै. बनाम मुकेश वगै. स्वीकार होने पर आराजी खसरा नंबर 1907 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर की आराजी में प्रतिवादीगण मुकेश वगै. वादीगण उर्मिला वगै. के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञ से पाबन्द किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

फोटो स्टेट प्रमाणित
[signature]
निजि सहायक ग्रेड -II
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)